मूल्य रुपये 500/-

मध्यप्रदेश माध्यम

(मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम)

साप्ताहिक रोज़गार और निर्माण'' की पोस्टिंग हेतु शर्तें

''मध्यप्रदेश माध्यम'' द्वारा ''रोज़गार और निर्माण'' साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया जाता है। इस समाचार पत्र की प्रतियाँ प्रति सप्ताह एजेन्टों, वार्षिक ग्राहकों एवं मध्यप्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों आदि को भेजना होता है। रोज़गार और निर्माण टेबुलाइड आकार में मुद्रित होता है। ''रोज़गार और निर्माण'' की प्रतियों का वितरण संबंधी कार्य करने के लिए भोपाल शहर के अनुभवी व्यक्तियों/फर्म्स से सील बंद निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र एवं शर्तें रुपये 500/- नगद अथवा ''मध्यप्रदेश माध्यम'' भोपाल के नाम देय किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी किये गये बैंक डिमांड ड्राफ्ट जमा कर कार्यालयीन दिवसों में एवं कार्यालयीन समय में (अवकाश के दिनों को छोड़कर) दिनांक 29.01.2018 शाम 5.30 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदायें दिनांक 30.01.2018 अपरान्ह 3.00 बजे तक प्राप्त किये जायेंगे और प्राप्त निविदाएं उसी दिन अपरान्ह 3.30 बजे उपस्थित निविदाकर्ताओं/उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेंगी। निविदा के साथ ''मध्यप्रदेश माध्यम भोपाल'' को देय किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी किये गये रुपये 16000/- (रुपये सोलह हजार मात्र) का बैंक डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक धरोहर राशि के रूप में जमा करना होगा।

शर्तें :

01. ग्राहकों/एजेंटों/ग्राम पंचायतों को भेजी जाने वाली प्रति/प्रतियों को फोल्ड कर/पैकेट बनाकर निर्देशानुसार भेजना होगा। रेल/डाक से भेजे जाने वाले बंडलों को पॉलिथीन बैग में पैक कर भेजना होगा।
02. पैंकिग सामग्री मध्यप्रदेश माध्यम द्वारा प्रदाय की जायेगी।
03. वर्तमान में औसतन प्रति सप्ताह लगभग 75,000 प्रतियाँ वितरित की जाती हैं जिनमें से प्रति सप्ताह लगभग 25 हजार सिंगल कॉपी डाक द्वारा भेजी जाती हैं। इनमें से लगभग तेइस हजार पते स्थायी हैं, शेष दो हजार पते परिवर्तनशील हैं। लगभग 50,000 प्रतियों का बंडल बनाना होगा। इन प्रतियों की संख्या भी परिवर्तनशील हैं। सफल निविदाकर्ता को एजेन्टों/वार्षिक ग्राहकों/ग्राम पंचायतों के पते का एक सेट प्रति सप्ताह ''मध्यप्रदेश माध्यम'' द्वारा दिया जायेगा।
04. समाचार पत्र का मुद्रण के तुरंत बाद माध्यम के संबंधित अधिकारी द्वारा प्रमाणित करने के बाद निविदाकर्ता द्वारा भोपाल शहर में स्थित मुद्रणालय से प्रतियाँ उठाकर दिये गये पतों के अनुसार ग्राहकों/ग्राम पंचायतों/एजेंटों को पोस्ट ऑफिस/रेल्वे के माध्यम से प्रतियाँ भेजनी होंगी। स्थानीय एजेन्टों को उनके स्थानीय पते पर प्रदाय करना होगा।
05. अखबार को मुद्रणालय से कार्यालय परिसर तक एवं कार्यालय से स्थानीय एजेन्टों को उनकी दुकान, पोस्ट ऑफिस एवं रेल्वे स्टेशन तक ले जाने के लिए परिवहन पर होने वाला व्यय निविदाकर्ता को स्वयं वहन करना होगा, जिसके लिए अलग से कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।
06. निविदाकर्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह एजेन्टों को भेजी जाने वाली प्रतियों को गंतव्य स्थान के लिए पहली उपलब्ध संबंधित ट्रेनों में चढ़ाना होगा जिससे प्रतियाँ ट्रेन द्वारा गंतव्य स्थानों के लिए रवाना हो जाएं। रेल्वे से भेजे जाने वाले बंडलों को पार्सल यान में चढ़ाने के बाद ट्रेन का नाम, क्रमांक और डिब्बे का नम्बर चढ़ाये गये बंडलों की संख्या अंकित करते हुए चार्ट देयक के साथ प्रस्तुत करना होगा। स्थानीय एजेन्टों के पतों पर भी प्रतियाँ पहुंचाकर पॉवती प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। रेल्वे पार्सल बुकिंग पर होने वाले वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत देयक के साथ आर.आर की मूल प्रति प्रस्तुत करने पर किया जाएगा।
07. पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेजी जाने वाली सिंगल प्रति भेजने के लिए प्रति सप्ताह सोमवार का दिन तय है उसी दिन सभी प्रतियाँ पोस्ट ऑफिस में पहुँचाकर पॉवती प्राप्त कर कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। सिंगल कॉपी को फोल्ड कर पते चिपका कर पोस्ट ऑफिस को उपलब्ध कराना होगा।
08. समाचार पत्र का मुद्रण समाप्ति के बाद प्रत्येक **रविवार को सुबह 9 बजे** निविदाकर्ता द्वारा प्रतियाँ मुद्रणालय से उठाकर अधिकतम 24 घंटे के अंदर पोस्टिंग का कार्य पूरा करना होगा। मुद्रणालय से प्रतियाँ किश्तों में भी मिल सकती हैं। निर्धारित अवधि तक पोस्टिंग का कार्य पूर्ण न होने पर निम्नलिखित दरों के अनुसार देयक से कटौती

की जाएगी -

अ - 12 घंटे विलंब पर - 20 प्रतिशत

ब - 12 घंटे से अधिक एवं 24 घंटे तक - 40 प्रतिशत

स - 24 घंटे से अधिक एवं 36 घंटे तक - 60 प्रतिशत

द - 36 घंटे से अधिक विलंब पर देयक का भुगतान नहीं किया जायेगा।

नोट - पोस्टिंग की अवधि का निर्धारण मुद्रणालय से प्रतियाँ प्राप्ति का समय/तिथि और पोस्टिंग की समाप्ति का समय/तिथि के आधार पर होगा। पोस्टिंग की तैयारी से संबंधित समस्त कार्य ''मध्यप्रदेश माध्यम'' का कार्यालय परिसर अथवा ''मध्यप्रदेश माध्यम'' द्वारा नियत स्थान पर करना होगा।

09. गलत पते चिपकाने, बिना पते की पोस्टिंग करने, किसी को भी अधिक या कम प्रतियाँ भेजने पर एवं प्रतियाँ या बण्डल न मिलने पर प्रति कॉपी रुपये 12/- (रुपये बारह मात्र) की दर से देयक में से कटौती की जाएगी एवं पोस्ट ऑफिस द्वारा वापिस की गई प्रतियाँ कार्यालय में रखी जायेंगी जो 'मध्यप्रदेश माध्यम' की संपति होगी।

10. पोस्टिंग सर्टिफिकेट एवं रेल्वे पार्सलों की सूची में बंडलों की सुपुर्दगी की तारीख एवं समय का उल्लेख के साथ-साथ मोहर भी होना जरूरी है।

11. रोज़गार और निर्माण के संबंधित अधिकारी को यह पूर्ण अधिकार होगा कि वह आकस्मिक रूप से पोस्टिंग कार्यस्थल का निरीक्षण करें। ग्राम पंचायतों एवं अन्य ग्राहकों की प्रतियों के जिलेवार 100-100 प्रतियों का बंडल बनाना होंगे। पृष्ठ संख्या में वृद्धि होने पर पृष्ठ संख्या के अनुपात में बंडल बनाना होगा, ताकि परीक्षण करते समय सत्यापन में असुविधा न हो। वार्षिक ग्राहकों को भेजी जाने वाली प्रतियों के बंडल सदस्यता क्रमांक के अनुसार बनाने होंगे ताकि परीक्षणकर्ता को परीक्षण करने में असुविधा न हो।

12. यदि किसी कारणवश निविदाकर्ता निर्धारित समय पर मुद्रणालय में प्रतियाँ उठाने या पोस्टिंग करने में असफल रहता है तो मध्यप्रदेश माध्यम को यह अधिकार होगा कि वह पोस्टिंग का कार्य किसी अन्य व्यक्ति/संस्था से कराए और उसका समस्त व्यय निविदाकर्ता की धरोहर राशि या किसी अंक के पोस्टिंग देयक में से काटे जायेंगे। इस विषय में मध्यप्रदेश माध्यम का निर्णय निविदाकर्ता को मान्य और बाध्यकारी होगा।

13. सफल निविदाकर्ता को सूचना प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर ''मध्यप्रदेश माध्यम'' के साथ एक अनुबंध निष्पादित करने होंगे। प्रारंभ में अनुबंध की अवधि दो वर्ष होगी जो दोनों पक्षों की सहमति से एक वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। कार्य आदेश की प्राप्ति से तीन सप्ताह की अवधि में पोस्टिंग कार्य आरंभ करना होगा। निर्धारित समय में पोस्टिंग कार्य प्रारंभ नहीं करने पर प्रतिपूर्ति राशि स्वत: ही जप्त मानी जाएगी।

14. अनुबंध की अवधि समाप्त होने एवं अनुबंध भंग होने की स्थिति में बचे हुए पतों की प्रतियाँ तत्काल मध्यप्रदेश माध्यम के कार्यालय को सुपुर्द करन होगा।

15. पोस्टिंग कार्य आबंटन में प्राथमिकता उन्हीं निविदाकर्ता को दी जायेंगी जिन्हें पोस्टिंग कार्य का पूर्व अनुभव तथा संतोषजनक पोस्टिंग कार्य का निष्पादन किया हो। तत्संबंधी प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना होगा।

16. अनुबंध किसी भी ओर से एक माह का नोटिस देकर अथवा रुपये 16000/- (रुपये सोलह हजार मात्र) भुगतान कर समाप्त किया जा सकता है।

17. उक्त शर्तो के अतिरिक्त, उप महाप्रबंधक (प्रसार व विज्ञापन) ''मध्यप्रदेश माध्यम'' द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का पालन करना होगा।

18. 'मध्यप्रदेश माध्यम' के प्रबंध संचालक को यह अधिकार होगा कि किसी भी निविदा को बिना कोई कारण बताये स्वीकार अथवा अस्वीकार कर दें।

19. विवाद की स्थिति में प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम अर्बिट्रेटर होंगे और उनका निर्णय अंतिम एवं दोनों पक्षों के लिए मान्य व बंधनकारी होगा।

रोज़गार और निर्माण की पोस्टिंग कार्य के लिए दरें

01. निविदाकर्ता का नाम : ....

02. पता : ....

03. आयकर स्थायी लेखा क्रमांक (PAN) : ....
(केवल फोटोप्रति संलग्न करें)

04. GST No. : ....

05. सम्पर्क व्यक्ति का नाम : ....

06. Landline/Telephone No. : ....

07. Mobile No. : ....

08. दरें : ....

क्र.	विवरण	दरें
1.	सिंगल प्रति की पोस्टिंग के लिए	रु. .... प्रति कॉपी
2.	बंडल के लिए	
	1. 24 पृष्ठ की 200 प्रतियों का एक बंडल	रु. .... प्रति बन्डल
	2. 32 पृष्ठ की 200 प्रतियों का एक बंडल	रु. .... प्रति बन्डल
	3. 48 पृष्ठ की 100 प्रतियों का एक बंडल	रु. .... प्रति बन्डल
	4. 64 पृष्ठ की 75 प्रतियों का एक बंडल	रु. .... प्रति बन्डल
		Total Rs. ....
	Add. + GST (If Applicable) @ 18%	Rs. ....
		Grand Total Rs. ....

07. धरोहर राशि का विवरण
(Earnest Money Deposit)

बैंक डिमांड ड्राफ्ट क्र. ....
दिनांक ....
रुपये ....

हस्ताक्षर

भोपाल ....
दिनांक ....

नाम ....
टेलीफोन नं. ....
मोबाइल नं. ....